



आयकर आयुक्त कार्यालय -1, राजकोट

रुम नं. 205 दुसरी मंजिल, आयकर भवन, रेसलोर रोड, राजकोट
फोन नंबर 0281-2456008 फैक्ट नं. 0281 - 2456008

RPAD

आ.आ./राज./12 ए /जीआर - 6/2014.15

पान नं : AANTS9533M

दिनांक : 21 SEP 2014

जैसे कि ता. 12/12/2013 के ट्रस्ट विलेण /एसोसीएशन के द्वारा संघीत एवं ता. 10/06/2012 को पढ़िक ट्रस्ट रजिस्टर में पंजीकृत ट्रस्ट सेतु अभियान, भुज कच्छ ने ता. 24/04/2014 को विहित फार्म में धारा 12ए(1)(ए) के अतर्गत रजिस्ट्रेशन आवेदन फाईल किया है। दिनांक 1, जून 2007 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 1962 में सम्मिलित धारा 12ए(2) के प्रावधानों के अनुसार जहाँ दिनांक 1 जून, 2007 को अथवा उनके बाद आवेदन फाईल किया गया है वहा उक्त ट्रस्ट या संस्था की आय के संबंध में, आवेदन किया हो, इस वित्त वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष से धारा 11 एवं 12 के प्रावधान लागू होंगे। तदुनासार आवेदन फाईल करने की तारीख से अर्थात दिनांक 24/04/2014 से धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण हेतु मंजूरी दी जाती है। उक्त ट्रस्ट / संस्था की आय के संबंध में धारा 11 एवं 12 के प्रावधान निर्धारण वर्ष 2015-16 से लागू किये जायेंगे।

मेरे कार्यालय में रखे गये धारा 12ए के अधीन आवेदन संबंधी रजिस्टर में आ.आ./राज./12ए/जीआर-06/2014-15 नंबर पर आवेदन दर्ज किया गया है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधिन ही पंजीकरण किया गया है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11, 12 एवं 13 अथवा अन्य कोई प्रावधानों से संबंधित कार्यवाही करने का हक अथवा अधिकार प्रदान नहीं करता जोकि निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर तय कीया जाना है।

यदि यह दृश्यान में आता है कि ट्रस्ट वास्तव में यथार्थ ट्रस्ट नहीं है अथवा ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य नहीं करता है तो उक्त ट्रस्ट का पंजीकरण भी रद्द कीया जा सकता है।

साथ हि यदि यह दृश्यान में आता है कि ट्रस्ट ने मेमोरेडम औफ एशोसिएशन के प्रावधान 3.25 के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान या ग्रांट या दोनों दिए हैं तो वह दान या ग्रांट या दोनों आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार आय का उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं माना जाएगा एवं करयोग्य होगा।

६.

(योगेश पांडे)

आयकर आयुक्त, राजकोट-1, राजकोट

दिनांक : 21 SEP 2014

आ.आ./राज./12 ए /जीआर -6/2014.15

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सेतु अभियान,
70-बी, बैंकर्स कोलोनी,
जुबली गाउड एरिया,
भुज- कच्छ.
2. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, रेज-1, राजकोट (जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए)
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 2, भुज- कच्छ. (जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए)



(राजेन्द्र सिंहल) आ.आ.(तक.)-१

कृते आयकर आयुक्त, राजकोट-1, राजकोट.